भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2819
(18 मार्च, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए)

पीएमजीएसवाई का आकलन

2819. श्री श्रीरंग आप्पा चंदू बारणे:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) का अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या पीएमजीएसवाई विशेषकर महाराष्ट्र में ग्रामीण संपर्क में किस प्रकार सुधार कर रही है;

(ग) उक्त योजना से संबंधित शेष चुनौतियों का ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इन शेष चुनौतियों का समाधान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या पहले और दूसरे चरण के अंतर्गत लक्ष्य प्राप्त करने में अत्यधिक विलंब हुआ है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा इन दो चरणों के अंतर्गत सड़कों की शेष लंबाई का निर्माण-कार्य करने/निर्माण पूरा करने के लिए क्या सुधारात्मक कदम प्रस्तावित है?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(श्री कमलेश पासवान)

(क) और (ख): नीति आयोग, भारतीय प्रबंधन संस्थान, अहमदाबाद (आईआईएम-ए), विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) पर विभिन्न अलग-अलग मूल्यांकन अध्ययन किए गए हैं। विभिन्न प्रभाव मूल्यांकन अध्ययनों ने निष्कर्ष निकाला है कि पीएमजीएसवाई ने ग्रामीण जनता के लिए बाजार तक बेहतर पहुंच बनाने में मदद की है और विभिन्न प्रकार के रोजगार पैदा किए हैं। इसने क्षेत्र के आसपास रहने

वाले लोगों की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों को बेहतर बनाने में भी मदद की है। इस प्रकार , इसने गरीबी और बेरोजगारी को दूर करने में मदद की है। इस योजना ने कृषि , स्वास्थ्य, शिक्षा, शहरीकरण और रोजगार सृजन को बड़े पैमाने पर प्रभावित किया है। पीएमजीएसवाई ने विभिन्न विकासात्मक गतिविधियों के लिए एक सुविधा प्रदानकर्ता और अग्रदूत के रूप में उभरकर महाराष्ट्र सहित सभी राज्यों के ग्रामीण लोगों को बहुत सकारात्मक तरीके से प्रभावित किया है। शुरुआत से लेकर 11 मार्च, 2025 तक, महाराष्ट्र राज्य में पीएमजीएसवाई के विभिन्न कार्यक्षेत्रों/पहलों के तहत कुल 34,567 किलोमीटर लंबी सड़क को मंजूरी दी गई है और 31,203 किलोमीटर का काम पूरा हो चुका है।

(ग) इस योजना को लागू करते समय भूमि अधिग्रहण, वन मंजूरी, अदालती मामले, राज्यों की अनुबंध क्षमता की कमी, निविदाओं पर प्रतिक्रिया की कमी, कानून और व्यवस्था के मुद्दे, राज्यों की निधि जारी करने की वित्तीय क्षमता, राज्यों की निष्पादन क्षमता, निर्माण सामग्री जैसे बजरी, मोरम, रेत, स्टोन एग्रीगेट बिटुमेन , मशीनरी, मशीनरी को संभालने के लिए कर्मियों आदि की अपर्याप्त उपलब्धता जैसी चुनौतियाँ सामने आईं, जिससे योजना की समग्र प्रगति सामान्य रूप से प्रभावित हुई थी। पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों के लिए , प्रतिकूल जलवायु परिस्थितियाँ , कठिन भूभाग, छोटा कार्य मौसम आदि जैसी कुछ अतिरिक्त समस्याएँ भी सामने आईं, जिससे चुनौतियाँ और बढ़ गई थी।

(घ) और (ड.) पीएमजीएसवाई-I , II , आरसीपीएलडब्ल्यूईए और III कार्यों को पूरा करने की समय-सीमा मार्च, 2025 है। पीएमजीएसवाई के तहत ग्रामीण सड़कों के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा क्षेत्रीय समीक्षा बैठकों (आरआरएम) , निष्पादन समीक्षा समिति (पीआरसी) बैठकों और राज्यों के साथ पूर्व-अधिकार प्राप्त/अधिकार प्राप्त समिति की बैठकों के माध्यम से नियमित रूप से की जाती है ताकि पीएमजीएसवाई कार्यों की दी गई समय-सीमा के अनुसार कार्यों को पूरा किया जा सके। उपरोक्त के अलावा , ग्रामीण विकास मंत्रालय के सचिव/अपर सचिव/संयुक्त सचिव द्वारा राज्यों के मुख्य सचिवों/प्रधान सचिवों के साथ रखरखाव पहलुओं सहित योजना की प्रगति का जायजा लेने के लिए विशेष समीक्षा बैठकें/मासिक समीक्षा बैठकें भी आयोजित की जाती हैं।

*****